व्यवसाय योजना

सिलाई व कटाई

नारीशक्ति स्वयं सहायता समूह (धाराघोट उप-समिति)

जैवविविधता प्रबंधन कमेटी	काईस
उप-समिति	धाराघोट
ग्राम पंचायत	काईस
वन तकनीकी इकाई	वन्यप्राणी परिक्षेत्र, कुल्लू
मण्डलीय प्रबंधन इकाई	वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
वन वृत्त समन्वय इकाई	GHNP वृत्त, शमशी

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
(जाईका वित्तपोषित)

विषय सूचि

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3
2	स्वयं सहायता समूह की जानकारी	4
3.	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	5
4.	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	5-7
5.	समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष	7
6.	उत्पादन की प्रक्रिया	8
7	उत्पादन हेतु नियोजन	8
8	विपणन	8-9
9	श्रम का वितरण	9
10	शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण	9
11	**उघम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/ आकलन :**	
	अ. पूंजीगत व्यय	10
	ब. आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए)	10
	स. उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)	10
	द. विक्रय मुल्य की गणना / आंकलन	10-11
12	उघम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण: (एक चक्र के लिए)	11-12
13	समूह की वित्तीय आवश्यकता	12
14	समूह की वित्तीय संसाधन	12
15	सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन प्वाइंट) की गणना	12
16	**धनराशी की व्यवस्था**	13
17	स्वयं सहायता समूह के नियम	13-14
18	समूह का सहमति पत्र व मण्डल प्रबन्धन इकाई की स्वकृति	15
19	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	16

1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय में स्थित है। यह राज्य कुदरती सुंदरता और समृद्धि, संस्कृति व धार्मिक धरोहर से भरपूर है। राज्य में विविध पारितंत्र, नदियों, घाटियों पाई जाती है। इसकी आबादी 70 लाख के करीब है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि० मी० है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाडियों से लेकर मध्य हिमालय का क्षेत्र के ऊँचाई व और ठंडे जोन का क्षेत्र पाया जाता है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिले में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) के सहयोग से चलाई जा रही है। जिसमे कुल्लू जिला भी शामिल है। वन्यप्राणी मंडल कुल्लू में कुल्लू, मनाली और सुंदर नगर वन परिक्षेत्रों में स्थापित जैवविविधता प्रबंधन कमेटियों में इस परियोजना में उप-समितियां बनाई गई हैं और प्रत्येक उप-समिति में दो-दो स्वयं सहायता समूह जिनमें अधिकतर महिला सदस्य हैं, बनाये गए हैं।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) प्रारंभ होने पर जैवविविधता प्रबंधन कमेटी काईस के धाराघोट उप-समिति की सूक्षम योजना बनाई गयी है। इस उप-समिति में महिलाओं के दो स्वयं सहायता समूह गठित किये गए जिनमें से नारीशक्ति समूह की महिलाओं ने अपनी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए टेलरिंग व कटिंग की गतिविधि का चयन किया।

उप-समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु अधिकतर परिवारों की औसत भूमि बहुत कम है। अन्य संसाधन कम व दूर होने के कारण विशेषकर महिलाओं की आय में अपेक्षित बढोतरी नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोग मुख्यता गेहूं, मक्की, जौ व दालों की खेती करने के साथ सब्जी उत्पादन तथा सेब, प्लम, खुमानी इत्यादि नकदी फसले उगाते हैं। परन्तु आय का अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए स्वयं सहायता समूह नारीशक्ति ने सिलाई व कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका बढाने का निर्णय लिया है। स्वयं सहायता समूह का 01.01.2021 को गठन किया गया है। इस समूह में कुल 10 महिलाएँ सदस्य है। इस समान रूचि समूह ने विस्तार से चर्चा करने पर स्थानीय लोगों के वस्त्रों की सिलाई व कटाई करने व मांग आने पर पेहनने के विभिन्न वस्त्रों को तैय्यार करके उन्हें बेचने का निर्णय किया है।

परियोजना की सहायता से प्रारम्भ में लेडीज सूट बिना लाइनिंग, लेडीज सूट लाइनिंग, जेंट्स पेन्ट और कमीज़ और प्लाजो सूट आदि को सिलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसपर लगभग 4400 रु की राशी प्रति सदस्य पर तीन महीने के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। यद्यपि सभी महिलाएं सामान्य श्रेणी से हैं परन्तु आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से सम्बन्ध रखती हैं अतः पूंजीगत व्यय का 75% भाग भी परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,00,000/- रिवोलविंग फण्ड दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये महिलाएं बैंक ऋण लेने में संकोच कर रही हैं। अतः इन्होंने आवश्यक खर्चों को स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य नियम व शर्तों के हिसाब से कार्यों का आपसी वंटवारा करेगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभांश का वंटवारा करेंगे।

व्यवसाय योजना के अनुसार समूह प्रतिमाह ९० लेडीज सूट बिना लाइनिंग, ९० लेडीज सूट लाइनिंग, ९० जेंट्स पेंट् और कमीज़ व ६० प्लाजो सूट तैयार करेंगे। सदस्यों के पास आय सृजन की इस गतिविधि पर काम करने के किये नवम्बर से मार्च महीनों पर्याप्त समय होगा जबकि अन्य महीनों में खेती से सम्बंधित काम चरम पर होने

के कारण सर्दी के महीनों की तुलना में कम समय मिलेगा। इस प्रकार से समूह के सदस्य औसतन प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आजीविका बढ़ाने की इस गतिविधि को चलाएगा।

2. स्वयं सहायता समूह की जानकारी

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	नारिशक्ति
2.2	स्वयं सहायता समूह का एम. आई. एस. कोड	–
2.3	जैवविविधता प्रबंधन कमेटी का नाम	धाराघोट
2.4	वन तकनीकी इकाई	वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली
2.5	मण्डलीय प्रबंधन इकाई	वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
2.6	गाँव	गुम्बर ग्रां
2.7	विकास खण्ड	नग्गर
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समूह के सदस्यों की संख्या	10
2.10	समूह के गठन की तिथि	01.01.2020
2.11	समूह के मासिक वचत की दर	100/-
2.12	बैंक तथा शाखा का नाम	पंजाब नेशनल बैंक,सेऊबाग
2.13	बैंक खाता संख्या	243000100211457
2.14	समूह की कुल वचत	₹ 9000/-
2.15	समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-
2.16	समूह के सदस्यों द्वारा वापिस किये ऋण की स्थिति	-

नारीशक्ति (धाराघोट उप-समिति) समूह के सदस्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	नाम व पता सुश्री/श्रीमती	पिता/ पति का नाम श्री	पद	गाँव	आयु	लिंग	श्रेणी	सम्पर्क
1	सीमा	ज्ञान चन्द	प्रधान	गुम्बर ग्रां	26	स्त्री	सामान्य	1876735845
2	अंजलि	मनोज कुमार	सचिव	गुम्बर ग्रां	21	स्त्री	सामान्य	7807063681
3	डूना देवी	आलम चन्द	कोषाध्यक्ष	गुम्बर ग्रां	50	स्त्री	सामान्य	9882160173
4	शकुंतला	नाथू राम	सदस्य	गुम्बर ग्रां	40	स्त्री	सामान्य	9805282751
5	यान दासी	खेख राम	सदस्य	गुम्बर ग्रां	45	स्त्री	सामान्य	7807047911
6	दिनेश्वरी	नानक चन्द	सदस्य	गुम्बर ग्रां	28	स्त्री	सामान्य	नहीं है
7	जय बन्ती	जय चन्द	सदस्य	गुम्बर ग्रां	28	स्त्री	सामान्य	7807629195
8	गीरू देवी	वेद राम	सदस्य	गुम्बर ग्रां	58	स्त्री	सामान्य	9419596893
9	चमेलु देवी	भाग चन्द	सदस्य	गुम्बर ग्रां	53	स्त्री	सामान्य	9816848219
10	मणी देवी	युगल किशोर	सदस्य	गुम्बर ग्रां	46	स्त्री	सामान्य	9625074901

3. गाँव की भौगोलिक स्थिति

3-1	ज़िला मुख्यालय से दूरी	10 किलोमीटर + 4 किलोमीटर पैदल
3-2	मुख्य सड़क से दूरी	8 किलोमीटर
3-3	स्थानीय बाज़ार का नाम व दूरी	कुल्लू 14 किलोमीटर भुन्तर 24 किलोमीटर
3-4	मुख्य बाज़ार से दूरी	कुल्लू 14 किलोमीटर भुन्तर 24 किलोमीटर मनाली 42 किलोमीटर
3-5	अन्य मुख्य शहरों व कस्वों से दूरी	पतलीकूहल 25 किलोमीटर
3-6	बाज़ार जहाँ उत्पादों की विक्री की जाएगी	भुन्तर, कुल्लू, मनाली, पतलीकूह, काईस
3-7	गाँव से सम्बन्धित अन्य कोई विशिष्टता जो समूह की गतिविधि से सम्बंधित हो	-

4. समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष

(क) व्यवसाय योजना की आवश्यता क्यों ?

गुम्बर ग्रां गाँव में जो कि जैवविविधता प्रबंधन कमेटी काईस की उप-समिति धाराघोट में पड़ता है, में महिलाओं का पहले से कोई भी समूह नहीं था । परियोजना के कार्य की शुरुआत में लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें परियोजना में इस प्रकार के समूह को परियोजना द्वारा प्रोत्साहन की व्यवस्था के बारे बताया गया व महिलाओं के रूचि दिखने पर परियोजना में एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। जिसमे समूह की सभी महिलाएं सिलाई कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका को बढाना चाहती है। समूह की कुछ महिलाये पहले से सिलाई कटाई का कार्य करती है परन्तु अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं है केवल अपने घर के लिए छोटी मोटी सिलाई करती है। इसके इलावा कुछ महिलायों के पास न ही सिलाई मशीन है और न ही प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को नहीं बढा पा रही है इसीलिए महिलायों ने समूह के माध्यम से परियोजना से सिलाई की मशीनों तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(ख) व्यवसाय योजना के उदेश्य :

- समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- सिलाई कटाई व्यवस्या की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढावा देना।
- आजीविका की बढोतरी।

(ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

महिलायों के सूट, पुरुषों के पेंट् और कमीज़, बच्चों के कपड़े आदि की कटिंग व सिलाई

(घ) व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण :

(1) सामुदायिक गतिशीलता : इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलन के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थीयों की छंटनी की गयी है।

(2) समूह का निर्माण : स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह का अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह की सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम एवं शर्ते निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(3) क्षमता का निर्माण : लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है जिस पर होने वाले व्यय का प्राब्धन पैयोजना द्वारा किया जाएगा।

(4) सिलाई मशीन इत्यादि का वितरण : समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म मशीने उपलब्ध करवाई जाए ताकि अच्छे ढग से कार्य कर सके।

(5) बाज़ार से जोड़ना : महिलाओं के अनुसार प्रारंभ में वे अपने गाँव तथा आस पास के गाँव में रहने वाले लोगों के वस्त्र तथा स्कूल के बच्चों की वर्दियों आदि की सिलाई का काम करेंगी। जिससे उनके समूह की आय होने लगेगी। इस के पश्चात् वे बाज़ार से अलग अलग तरह के कपड़े क्रय कर के महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के सिलाये हुए वस्त्र बना कर निकट के बाज़ारों में बेचेंगी। अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजि सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबध स्थापित करने लिए तैयार है।

(6) वितीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना : व्यवसाय को आगे बढाने के लिए समूह को वितीय संस्थानों से जोड़ने का पर्यास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया गया है तथा ऋण लेने की अवस्था में परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा।

(7) बाज़ार की जानकारी : सिले सिलाये परिधानों को मांग के अनुसार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा आस पास के गाँव में और निकट के कस्बों में विक्रय किया जायेगा ।

(8) निगरानी का तरीका : व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके हर छ: महीने अथवा साल के बाद निम्न मापदण्डों पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा :

क. मांग में बढ़ोतरी व बाज़ार में उत्पादन की स्वीकार्यता।

ख. बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी।

ग. समूह के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधि में दिए जाने वाले औसत समय में वृद्धि।

घ. समूह/ प्रति सदस्य आय में बढ़ोतरी।

उप-समिति की कार्यकारिणी एवं उप-समिति की सामाजिक लेखापरीक्षण कमेटी (Social Audit Committee) समय समय पर समूह की गतिविधि के आकलन करते रहेंगे।

(9) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :

क. पूंजीगत व्यय का 75% या 50% श्रेणी अनुसार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी, शेष भाग सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय को समूह अपनी वचत राशी से, रिवॉल्विंग फण्ड से अथवा बैंक ऋण ले कर कार्य को आगे बढ़ाएगा।

ख. कार्मिक 10 सदस्य

ग. तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्राबधान किया जाएगा।

(10) अनुमानित लाभ :

- महिलायों के लिए गाँव स्तर पर रोज़गार उपलब्ध होगा।
- इस गतिविधि पर अन्य व्यस्तताओं से निकले गए थोड़े बहुत समय को उनकी कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि करने की सुविघा देगा।
- समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका के साधन में वृद्धि का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

5. आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पादों का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	जेंट्स पेन्ट और कमीज़ + सूट लाइनिंग + सूट बिना लाइनिंग, प्लाजो सूट आदि
4.2	उत्पाद की पहचान की पद्धति	बाज़ार की मांग तथा समूह में विचार विमर्श
4.3	स्वय सहायता समूह/समान रूचि समूह के सदस्यो की सहमति	सहमति पत्र संलगन है।

6. उत्पादन की प्रक्रिया

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा लेडीज सूट लाइनिंग, बिना लाइनिंग, बच्चों के वस्त्र और जेंट्स पेन्ट कमीज़ व नाईट सूट आदि की कटिंग व सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नारीशक्ति समूह के सदस्यों के अनुसार वे प्रशिक्षण के पश्चात् सर्वप्रथम अपने गाँव व आस पास के गाँव से वस्त्रों की सिलाई का काम करेंगे। इस के पश्चात् निकटम बाज़ारों से काम ले कर विभिन्न प्रकार की सिलाई के काम को निम्न प्रकार से करने का प्रयास होगा :

1. लेडीज सूट लाइनिंग: – समूह के 3 सदस्य लेडीज सूट लाइनिंग की सिलाई का कार्य करेंगे। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 1 सूट तैयार कर सकेंगी ।
2. लेडीज सूट बिना लाइनिंग: – समूह के 2 सदस्य लेडीज सूट बिना लाइनिंग की सिलाई का कार्य करेंगे। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 1.5 सूट तैयार कर सकेंगी ।
3. जेंट्स पेंट्स और कमीज़: – समूह के 3 सदस्य जेंट्स पेंट्स और कमीज़ की सिलाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 1 सेट तैयार कर सकेंगी ।
4. पलाज़ो सूट:- समूह के 2 सदस्य प्लाजो सूट की सिलाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 1 सेट तैयार कर सकेंगी ।

7. उत्पादन हेतु नियोजन

7.1	प्रति माह कार्य दिवस	30 दिवस (2 दिन औसतन 4-5 घंटे = 1 दिहाड़ी)
7.2	प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति	10 महिलाएं (150 दिहाडीयां)
7.3	कच्चे माल का स्रोत	कुल्लू
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	कुल्लू

8 विपणन

8.1	संभावित कार्यक्षेत्र	समीप के गाँव व समीप के बाज़ार काईस, कुल्लू, पतलीकूहल
8.2	संभावित कार्यों का अनुमान	लेडी सूट , जेंट्स नाईट सूट, जेंट्स पेन्ट और कमीज़, और प्लाजो सूट आदि
8.3	ऋतू परिवर्तन अनुसार कार्य की संभावना	सर्दी के दौरान वूलेन सूट और गर्मी के मौसम के दौरान कॉटन या पतले कपड़े के सूट सिलेगें।
8.4	चिन्हित ग्राहक	गाँव व कस्बों की महिलाऐं / पुरुषों के वस्त्र एवं स्कूल के बच्चों की वर्दियां आदि

8.5	कार्य की उपलब्धता हेतु रणनीति	सीधा सम्पर्क व स्थापित दर्जिओं से काम लेना होगा।
8.6	प्राथमिकतायें	प्रारम्भ में लेडी शूट, जेंट्स नाईट सूट, स्कूल की वर्दियां, बच्चों की ड्रेसिज सिलेगें। इसके साथ साथ में पिलो, कुशन, रजाई कवर इत्यादि सिलेगें। समूह कार्य की निपुणता के आधार पर सदस्यों का चयन करेगा जैसे कि कटिंग, तर्पाई, काज, बटन लगाना, इस्त्री करना इत्यादि।

9.श्रम का वितरण

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यो का बटवारा करेंगे तथा किये गये कार्य के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। स्वयं सहयता समूह के सभी सदस्य हर प्रकार का काम करेंगे। कार्य का बटवारा एवं प्रत्येक सदस्य की भूमिका सदस्य की आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर की जायेगी। सभी सदस्य बारी बारी लेन देन का हिसाब रखेंगे।

10 . शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति :

1. सभी समूह सदस्य सामान व् अनुकूल सोच रखते है।
2. समूह के एक सदस्य छोटे पैमाने पर सिलाई का कार्य करेंगे।

दुर्बलता:

1. स्वयं सहायता समूह के लिए नया काम है ।
2. समूह में कार्य करने का अनुभव नहीं है।

अवसर:

1. समूह में कार्य करने पर बड़े स्तर पर काम मिल सकता है।
2. स्थानीय बाज़ारों में सूट सिलाई इत्यादि की पर्यटन क्षेत्र होने के कारण मांग अधिक है।
3. परियोजना द्वारा सिलाई मशीन व अन्य सामान इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति तथा गरीब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिला को 50% सहायता उपलब्ध है ।
4. परियोजना द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण विशेषज्ञ द्वारा मौके पर / प्रशिक्षण संस्थानों में करवाया जाएगा।

जोखिम:

1. समूह में आन्तरिक टकराव होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की सम्भावना हो सकती है।
3. फेशन के अनुसार परिवर्तन न करें तो काम की मात्रा प्रभावित हो सकती है।

4. कुशल कारीगरों से स्पर्धा में खरे उतरना होगा।

11. उद्यम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/आकलन :

अ) पूंजीगत व्यय

क्रमाक	गतिविधि	संख्या	अनुमानित मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	सिलाई	10	5000	50000	35000	15000
2	प्रेस	2	1200	2400	1800	600
	योग			**52400**	**36800**	**15600**

* अन्य छोटा आवश्यक समान महिलाएं स्वयं उपलब्ध कर रही हैं।

* उपरोक्त पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश नकदी के रूप में स्वयं वहन करेंगे ।

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)

क्रमाक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु०)	धन राशी (रु०)
1.	किराया	महीना	1	700	700
2	मजदूरी	महीना	150 दिन	275	41250
3	परिवहन	महीना	1	700	700
4	पैकिंग (लिफाफे, बेग, अखबार)	नंबर	1	1000	1000
5	सिलाई धागा, बटन , ज़िप , हुक, इत्यादि	नंबर	330	10	3300
6	मूल्य लाइनिंग	नंबर	90	100	9000
7	अन्य खर्चे (स्टेशनरी, बिजली, पानी इत्यादि	महीना	1	1000	1000
	योग				56950

(स) - उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)

क्र. सं.	विवरण	धनराशी
1	कुल आवर्ती व्यय	56950
2	पूजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	436
	योग	**57386**

(द) विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन (प्रतिचक्र) :

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या	मजदूरी	औसत अन्य	कुल धन राशी	प्रति नग	आपेक्षित उत्पादन

				खर्चे		लागत	की मात्रा
1.	लेडीज सूट लाइनिंग	90	12375	10827	23202	258	90
	लेडीज सूट बिना लाइनिंग	90	8250	1827	10077	112	90
	जेंट्स पेंट्स और कमीज़	90	12375	1827	14202	158	90
	प्लाजो सूट	60	8250	1218	9469	158	60
	योग	**330**	**41250**	**15699**	**56950**	**-**	**-**

- तैयार वस्त्रों/सेट्स की संख्या मात्र सांकेतिक है जिसकी संख्या काम मिलने के आधार पर तय होगा।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	वस्तु संख्या	लागत प्रति सेट	धनराशी
1.	**उत्पादन पर लागत**				
	लेडीज सूट लाइनिंग	संख्या	90	258	23220
	लेडीज सूट बिना लाइनिंग	संख्या	90	112	10080
	जेंट्स पेंट्स और कमीज़	संख्या	90	158	14220
	प्लाजो सूट	संख्या	60	158	9480
	कुल लागत		**330**		**57000**

2	**निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदानी**					
		वस्तु संख्या	लागत (श्रम + खर्चे)	लाभ %	प्राप्य राशि	कुल राशि
	लेडीज सूट लाइनिंग	90	258	74	450	40500
	लेडीज सूट बिना लाइनिंग	90	112	123	250	22500
	जेंट्स पेंट्स और कमीज़	90	158	216	500	45000
	प्लाजो सूट	60	158	90	300	18000
	योग	**330**				**126000**

12. उद्यम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए) :

क्र. सं.	**मद**	**धनराशी**
1	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मुल्य ह्रास	436
2	**आवर्ती व्यय (एक माह)**	
2-1	किराया	700
2-2	मजदूरी	41250

2-3	सिलाई धागा, वटन, जिप, हुक, इत्यादि	3300
2-4	अन्य खर्चे (बिजली, स्टेशनरी इत्यादि)	1000
2-5	परिवहन	700
2.6	सूट लाइनिंग (मटेरियल)	9000
2.7	पैकिंग (लिफाफे, बेग, अखबार)	1000
	एक चक्र हेतु आवर्ती व्यय का योग	**57386**
3.1	कुल अनुमानित वस्त्र उत्पादन संख्या	330
3.2	उत्पादन से आय प्रतिमाह्	126000
3.3	कुल लाभ = 126000- (436+57000)	68564
3.4	वस्त्रों की सिलाई से सकल लाभ = कुल लाभ + मजदूरी एवं किराया = 68564+41250+700	110514
3.5	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध धनराशी = उत्पाद की सिलाई से आय – (मूलधन व ब्याज वापसी) + (दुसरे चक्र हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय – मजदूरी) = 126000- (0) + (57386- 41250)	109864

- यह धनराशी मजदूरी व किराये की धनराशी के अतिरिक्त है। शुद्ध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा৳

13. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क0स0	मद	धनराशी (रु)
1	पूंजीगत व्यय	52400
2	आवर्ती व्यय	16136
	योग	**68536**

14. समूह के वित्तीय संसाधन :

क0स0	**संसाधन का विवरण**	**धनराशी**
1	पूंजीगत व्यय पर परियोजना द्वारा सहायता राशि	36800
2	लाभार्थी अंश	15600
3	समूह की आंतरिक बचत	9000
	योग	61400
	अतिरिक्त राशि की आवश्यकता = 68536-61400	**7136**

1. अतिरिक्त राशि कम होने के कारण समूह इस राशि का प्रबंध नकद व जमा राशि में से करेगा।

15. सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन पॉइंट) की गणना :

ब्रेक ईवन पॉइंट = पूंजीगत व्यय / प्रत्येक सेट की सिलाई पर वचत

= 52400/814 = 64 दिन

उपरोक्त अनुपात में विभिन्न प्रकार के 330 सेट सिलाई करके देने पर ब्रेक ईवन पॉइंट 63 दिनों में प्राप्त होगा अर्थात इस गतिविधि में लगे पूंजीगत लागत को दो महीनों में प्राप्त किया जा सकेगा।

16. धनराशी की व्यवस्था :

क) समूह की महिलाएं पूंजीगत लागत में लाभार्थी के अंश को नकद राशि के रूप में इकट्ठा करेंगी ।

ख) जैसे जैसे सिलाई का काम मिलेगा, वे आवर्ती व्यय को भी नकद जमा कर के बाज़ार से खरीददारी करेंगी।

17. स्वयं सहायता समूह के नियम

1. समूह का काम : सिलाई व कटाई
2. समूह का पता : गाँव गुम्बर ग्रां , डाकघर काईस, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश I
3. समूह के कुल सदस्यः 10
4. समूह की पहली बैठक की तिथि : 01.01.2020
5. समूह में हर 100 रूपए के ऋण पर 2 रूपए ब्याज होगा
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेगे I
8. स्वय सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा
9. स्प्वय सहायता समूह का खाता पंजाब नेशनल बैंक, सेऊबाग शाखा में खोला गया है तथा खाता संख्या 243000100211457 है!
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नही करवाते या 3 बेठको तक समूह से गेर हाज़िर रहते है तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाऐगा
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होगे तो खर्च मिल कर देना होगा
13. स्वय सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाऐगे I
14. प्रधान व सचिव बैक से लेन देन कर सकते है यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा I
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरूद्व कोई काम नही करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगे I
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है अन्यथा नही I
17. ऋण का उदेश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए

19. स्वय सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यो के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए
20. बड़े ऋण लेने वालो को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी ।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यो को मिलना चाहिए ।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बाटी जाएगी ।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technicll Unit) के कार्यालय में देनी होगी ।

समूह का सहमती पत्र एवं स्वीकृति

आज दिनाकं 12.12.2021 को नारीशक्ति (धाराघोट उप-समिति) स्वयं सहायता समूह की बैठक हुई। बैठक में प्रधान श्रीमती सीमा की अध्यक्षता में हुई जिसमे समूह के सदस्यों ने सर्व सहमती से निर्णय लिया कि आय बढाने के लिए सिलाई व कटाई करने के लिए **हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रवंधन और आजीविका सुधार परियोजना** (जाईका वित्तपोषित) से जुड़ने की सहमती प्रदान करते है तथा उपरोक्त परियोजना की सहायता से सभी सदस्यों द्वारा चयनित की गई गतिविधि जो कि सिलाई व कटाई है, को इसकी व्यवसाय योजना के अनुसार या बाज़ार की मांग के अनुसार सभी सदस्य मिलजुल कर सफल बनायेंगे।

Anjali
समूह के सचिव के हस्ताक्षर
सचिव
नारी शक्ति महिला समूह
गांव गुम्बरधा डा० काईस
तह० व जिला कुल्लू (हि०प्र०)

सीमा
समूह के प्रधान के हस्ताक्षर
प्रधान
नारी शक्ति महिला समूह
गांव गुम्बरधा डा० काईस
तह० व जिला कुल्लू (हि०प्र०)

फील्ड तकनीकी यूनिट (FTU)
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली ।

प्रधान,
उपसमिति धाराघोट
(जैव विविधता समिति, काईस)

प्रधान सचिव
धारा घोट जैव विविधता ... समिति

स्वीकृत

कुल्लू मंडलीय प्रबंधन इकाई (DMU)
वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू ।

Divisional Management Unit Officer
cum Divisional Forest Officer,
Wild Life Division, Kullu

स्वयं सहायता समूह नारीशक्ति (धाराघोट उप- समिति) सदस्य